

पत्रांक-10 ए./भू.अ.नि./प्राधिकार-74/2015..... 828/रा0

झारखण्ड सरकार,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक- 24-11-16

विषय :- जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु घोषित करने के संबंध में।


प्रसंग:- महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची का पत्र संख्या-5646 दिनांक-23.11.2016
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा भूमि अर्जन प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा करने के प्रयोजन के लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार" स्थापना होने तक प्रमण्डलीय स्तर पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं न्यायायुक्त, राँची के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु घोषित किया गया है। जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

SL.No.	Name of Division	Name of the Court	Jurisdiction
			Judgeship of
1	2	3	4
1	South Chotanagpur	Judicial Commissioner, Ranchi	Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega and Khunti
2	North Chotanagpur	Principal District Judge, Hazaribagh	Hazaribagh, Ramgarh, Chatra, Koderma, Giridih, Bokaro and Dhanbad
3	Palamau	Principal District Judge, Medininagar (Palamau)	Palamau, Garhwa and Latehar
4	Santhal Pargana	Principal District Judge, Dumka	Dumka, Pakur, Sahebganj, Godda, Deoghar and Jamtara
5	Kolhan	Principal District Judge, West Singhbhum (Chaibasa)	East Singhbhum (Jamshepur), West Singhbhum, (Chaibasa) and Saraikela

विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-877/2014, पूणे म्यूनीसिपल कॉरपोरेशन एवं अन्य बनाम हरकचंद मिसिरीमल सोलंकी एवं अन्य मामलों में पारित आदेश में कहा गया है कि मुआवजा भुगतान के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर मुआवजा की राशि Government Treasury में जमा किये जाने पर हितबद्ध व्यक्तियों को मुआवजा का भुगतान नहीं माना जायेगा, अपितु मुआवजा की राशि भू-अर्जन न्यायालय में जमा किया जाना अनिवार्य है। यह भी विदित हो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्र संख्या-367/रा., दिनांक-24.10.2014 द्वारा सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त, सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, झारखण्ड को प्रेषित किया गया है।


अतएव अनुरोध है कि भूमि अर्जन प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा करने के प्रयोजन के लिए प्रमण्डलीय स्तर पर घोषित *Principal District Judge/Judicial Commissioner, Ranchi* के न्यायालय में भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाय।
 अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

 (कमल किशोर/सिंह)
 सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-.....828/11/16.....

दिनांक-.....24-11-16.....

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी अपर मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के सचिव।

